

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 21, शुक्रवार, शाके 1943-नवम्बर 12, 2021 Kartika 21, Friday, Saka 1943- November 12, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग अधिसूचना

जयप्र, नवम्बर 11, 2021

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों में:-

- (i) उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 7 एवं 9 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-
- "7. कोई भी विवाह संबंधी आयोजन किसी मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान व वर या वधू के घर पर बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open space) में आयोजित किया जा सकेगा। उक्त आयोजन के आयोजक एवं विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि,-
 - (i) उक्त समारोह के दौरान सामाजिक दूरी संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी;
 - (ii) उक्त समारोह में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति फेस मॉस्क (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढंका हुआ हो) का प्रयोग करेगा;
 - (iii) नो-मॉस्क नो एन्ट्री की कठोरता से पालना की जावेगी;
 - (iv) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजे के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनिटाईज किया जावेगा;
- 9. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक आयोजन यथा-राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहारों का आयोजन बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open

space) पर आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनिटाईजेशन, दो गज की दूरी की पालना सुनिश्चित करेगा।

(ii) उक्त विनियमों में विद्यमान विनियम 7ए को विलोपित किया जाता है।

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020] राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक, शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.